कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं0 54/2000 दिनांक 16-6-2000 को सायं 4·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

समिति के निम्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया -

1- श्री के·पी· सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री ए·के· गुप्ता, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री पी·एस· राठौड़, उपायुक्त, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री बी·एस· परमार, उपायुक्त, जोन ए-2, जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री ओ·पी· खड़गावत, उपायुक्त, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री वासुदेव शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-1,जविप्रा, जयपुर ।

5- श्री रमेश चन्द शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी,जोन बी-2,जविप्रा, जयपुर ।

6- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

7- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

8- श्री अनन्त देव टांक, सहायक नगर नियोजक, ए-1, जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) <u>एजेण्डा आईटमस -</u>

1·1- एजेण्डा सं0 54/2000- 1 :- न्यूपिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बरकत नगर (जोन बी-2) :-

न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बरकत नगर के संबंध में उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की रिपोर्ट के आधार पर निम्नांकित निर्णय लिये गये -

1- योजना मानचित्र में निम्नानुसार भूखण्डों का मौके के अनुसार रिनम्बरिंग किया गया -

मानचित्र में दर्शित भूखण्ड सं0	संशोधित भूखण्ड संख्या
968 बी	968 ए
968 ए	968 बी

967	967 बी
1033	1033 बी
775	776
776	775
1 बी	1 ए
1 ए	1
2 बी	2 ए
2 ए	2 बी
676 ए एवं 676 बी	677
677	678
678	676 ए एवं 676 बी
1327 बी	1321
1327 ए	1322

प्रस्तावित भूखण्ड् सं0 968 ए एवं 968 बी के पश्चिम में लैण्ड् लोर्ड की भूमि है और 58 फिट लम्बाई में 15 फिट चौड़ी सड़क मौके पर बनी हुई है जिसे मानचित्र में दर्शाने की स्वीकृति दी गयी ।

बीपीसी-।। ﴾सीपीसी﴿ की बैठक सं0 52/2000 दिनांक 8-6-2000 में मानचित्र में दर्शित भूखण्ड् सं0 968 ए को अनुमोदित नहीं किया गया था जिसे अब लैण्ड् लोर्ड की भूमि में से रास्ता उपलब्ध होने के कारण अनुमोदित किया गया एवं मौके के अनुसार परिवर्तित कर उसे भूखण्ड् सं0 968 बी किया गया ।

2- अनुमोदित मानचित्र में लैण्ड लोर्ड की भूमि के पश्चिम में एवं भूखण्ड् सं0 804 बी और 804 सी के दक्षिण में मौके के अनुसार निम्न भूखण्ड् सृजित किये गये :-

भूखण्ड् सं0 1032, 1033, 1033 ए

3- मानचित्र में भूखण्ड् सं0 444 दो बार अंकित है । मौके पर भूखण्ड् सं0 446 एवं 443 के पश्चिम में एक भूखण्ड् है जिसका नंबर 445 है परन्तु मानचित्र में भूखण्ड् सं0 445 एवं 444 अंकित है । अत: मानचित्र में दर्शित इस भूखण्ड् सं0 444 को विलोपित किया जाये और उसे भूखण्ड् सं0 445 का ही भाग माना जाए ।

4- मानचित्र में 1185 एवं 1186 को दो बार अंकित किया हुआ है ।

अत: मौके के अनुसार 1198 एवं 1199 के सामने स्थित भूखण्डों का रिनम्बरिंग निम्नानुसार किया गया -

भूखण्ड सं0 1185 का भूखण्ड सं0 1189

भूखण्ड सं0 1186 का भूखण्ड सं0 1188

5- भूखण्ड सं0 1323 के पूर्व में 1324 एवं 1325, 1323 के उत्तर में 1327, 1324 के उत्तर में 1327 ए व 1325 के उत्तर में 1326 मौके की स्थिति के अनुसार मानचित्र में दर्शाने की स्वीकृति दी गयी ।

6- भूखण्ड सं0 964 का उप विभाजन 964 ए व 964 बी के रूप में करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी कि 5 फिट का रास्ता भूखण्ड सं0 964 बी का भाग माना जावेगा जो एल शेप का होगा ।

7- भूखण्ड सं0 1271 का उप विभाजन 1271 व 1271 ए के रूप में करने की स्वीकृति इस आधार पर दी गयी कि 5 फिट का रास्ता भूखण्ड सं0 1271 का भाग होगा जो भूखण्ड एल शेप का होगा ।

8- निम्नांकित भूखण्डों का मौके के अनुसार आकार परिवर्तन की स्वीकृति दी गयी :-

भूखण्ड सं0	मानचित्र में दर्शित आकार	प्रस्तावित आकार
1208	40' x 90'	45' x 90'
1209	40' x 90'	50' x 90'
1210	40' x 90'	554 वर्ग गज

1·2- एजेण्डा सं0 54/2000- 2 :- भूखण्ड सं0 21, मुक्तानन्द नगर नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत {जोन बी-1} :-

उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं मौके की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया । उपायुक्त, बी-1, जोनल अभियंता बी-1, एवं सहायक नगर नियोजक, बी-1 की संयुक्त रूप से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर भी विचार-विमर्श किया गया । आवेदक द्वारा प्रस्तुत निम्न

दस्तावेजों के मद्देनजर भूखण्ड् सं0 21 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया :-

1- समिति द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 31-12-78 मय साईट प्लान ।

2- कृषि रूपान्तरण का चालान दिनांक 24-3-82 ·

3- नगर निगम जयपुर गृह कर 1989 से 1-3-97 तक जमा की रसीद ।

4- पानी के मीटर की रसीद दिनांक 3-10-89 एवं पानी का बिल 26-2-90 का ।

5- बिजली के कनेक्शन की रसीद दिनांक 25-10-91 ·

1·3- एजेण्डा सं0 54/2000- 3 :- हथरोई गढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रघुश्याम विहार, खसरा नं0 118/1, 119, 120, 121 एवं 122 ग्राम नाहरगढ़ की योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में :-

जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 4, 5, 6 एवं वरिष्ठ नगर नियोजक (सीपी) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया और यह तथ्य उभर कर आया कि उक्त योजना की सम्पूर्ण भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार सवाई चक है । अत: बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1- योजना का कैम्प तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाये ।

2- उपायुक्त, जोन ए-2 समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ एफ·आई· आर· दर्ज कराये ।

3- उक्त योजना में खाली राजकीय भूमि का उपायुक्त, जोन ए-2 तुरन्त कब्जा ले एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि का बोर्ड लगवाये और कम्पाउण्ड् वॉल के निर्माण का कार्य शुरू करावें ।

1·4- एजेण्डा सं0 54/2000- 4 :- राजहंस को·हा· सोसायटी की योजना ब्रह्मपुरी - । एवं ।। की खसरा नंबर 92/125, 100, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94 ग्राम- तालकटोरा उर्फ जयसागर की योजना मानचित्र अनुमोदन के संबंध में :-

जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 4, 5, 6 एवं वरिष्ठ नगर नियोजक {सीपी} द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया । वाद विचार-विमर्श निम्नांकित संशोधनों के साथ योजना मानचित्र का अनुमोदन किया गया -

1- भूखण्ड सं0 50 व एस- 3 से एस- 5 के मध्य 20 फिट चौड़ी सड़क है जो कि मौके पर बन्द है को समिति के मानचित्र के अनुसार खुली रखी जाये ।

2- मानचित्र में दर्शित सभी 20 फिट चौड़ी सड़कों को 25 फिट किया जाये । मुख्य सड़क जो 20 फिट से 30 फिट चौड़ाई तक दर्शायी गयी है उसकी चौड़ाई 30 फिट रखी जाये ।

3- योजना के पार्ट- । के भूखण्ड सं0 5 में से हाई टेन्शन लाईन जाती है । अत: इस भूखण्ड को अनुमोदित नहीं किया गया । ब्रहमपुरी सड़क से पार्ट- । में जाने वाली सड़क ऐण्ट्री पुआइंट पर समिति के नक्शे के अनुसार 20 फिट से अधिक चौड़ी रहेगी

4- ब्रहमपुरी सड़क की चौड़ाई योजना मानचित्र में 50 फिट दर्शायी गयी है परन्तु मौके पर सड़क के मध्य बिन्दु से 20 फिट की दूरी पर दुकानों का निर्माण है । अत: सड़क को 50 फिट करने के लिए मानचित्र में दर्शित भूखण्डों से 5 फिट जगह सड़क के लिए ली जावें ।

5- भूखण्ड सं0 एस- । से एस- 5 के आवासीय प्रयोजन के पट्टे दिये जाये । ब्रहमपुरी सड़क पर दर्शाई दुकानों का आवासीय पट्टा होने के कारण सम्बन्धित आवासीय भूखण्ड का ही भाग माना जाए ।

6- योजना में लगभग सभी भूखण्डों पर निर्माण हो चुका है । अत: आवासीय क्षेत्रफल जो 60% से अधिक आता है उसको राजकीय आदेश क्रमांक प 5(3) न.वि.वि/3/99 दिनांक 10.07.99 के अन्तर्गत छूट देते हुए स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

1.5- एजेण्डा सं0 54/2000- 5 :- जलमहल हा.को. सोसायटी की स्कीम नं0 5 व 5 ए खसरा नं0 88, 91 ग्राम नाहरगढ़ की योजना स्वीकृति के संबंध में :-

जोन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 4, 5, 6 एवं वरिष्ठ नगर नियोजक{सीपी} द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित संशोधनों के साथ किया गया :-

1- मास्टर विकास योजना 2011 में उक्त योजना का भू उपयोग पार्क, ओपन स्पेस एवं रिक्रियेशनल है । अत: आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही की जावें ।

2- योजना मानचित्र में दर्शित भूखण्ड सं0 8 से 11 एवं 30 को अनुमोदित नहीं किया गया ।

3- समिति के नक्शे में 30 फिट चौड़ी रोड़ के उत्तर में स्थित भूमि को सरकारी दर्शाया जाये और मौके पर उसमें से रिक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि का बोर्ड लगाया जावे व उपायुक्त, जोन ए-2 को निर्देश दिये गये कि वो उक्त भूमि का कब्जा तुरन्त लें ।

4- भूखण्ड सं0 37 के उत्तर में दर्शित रोड़ को 20 फिट के स्थान पर 30 फिट चौड़ा किया जाये ताकि पूरी सड़क 30 फिट चौड़ी हो जाए । अन्य सड़के समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के अनुसार रखी जाये ।

5- भूखण्डों का नियमन सरकारी भूमि की दर पर किया जाये ।

1·6- एजेण्डा सं0 54/2000-6 :- नीतिगत निर्णय :-

सहकारी समिति की योजनाओं में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्वीकृति देने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में सहकारी समिति की योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 2% तक का एरिया मौके की स्थिति देखते हुए कन्वीनियंट शोपिंग हेतु स्वीकृत किया जा सकेगा ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय{सीपीसी}

क्रमांक: एफ-11{14}जविप्रा/वननि/सीपी/54/2000/डी- 301.
दिनांक : 24-6-2000.

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।

2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

3- निदेशक (आयोजना)/(वित्त)/(विधि)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

4- अति॰ आयुक्त (भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।

5- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, जविप्रा, जयपुर ।

6- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-II (सीपीसी)